न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 47/अपील/2025 (GCMS No. 2025/130)	29.09.2025	08.12.2025

1. मोहनीबाई बेवा लटूरलाल जाति बैरवा निवासी ख्यावदा तह. रायथल
2. दीपक कुमार आ. लटूरलाल जाति बैरवा नि. ख्यावदा तह. रायथल
3. दिनेश कुमार आ. लटूरलाल जाति बैरवा नि. ख्यावदा तह. रायथल
4. शिमला पुत्रीं लटूरलाल जाति बैरवा निवासी ख्यावदा तह. रायथल
5. विमला पुत्री लटूरलाल जाति बैरवा निवासी ख्यावदा तह. रायथल
6. राममाला पुत्री लटूरलाल जाति बैरवा निवासी ख्यावदा तह. रायथल
7. भंवरीबाई बेवा किशनलाल जाति बैरवा निवासी ख्यावदा तह. रायथल
8. मोहनालाल आ. किशनलाल जाति बैरवा नि. ख्यावदा तह. रायथल
9. गीताबाई पुत्री किशनलाल जाति बैरवा निवासी ख्यावदा तह. रायथल

– अपीलांटस

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रायथल

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री प्रेमशंकर गुर्जर एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं. 819 दिनांक 10.01.2020 ग्राम ख्यावदा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार किशनलाल के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 47/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2025/130 पर इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं. 106 रकबा 0.7613 है., ख.सं. 487 रकबा 0.0308 है., ख.सं. 503 रकबा 1.3458 है., एवं ख.सं. 702 रकबा 1.1766 है. कुल किता 4 कुल रकबा 3.3145 हैक्टेयर वाके ग्राम ख्यावदा वर्तमान तहसील रायथल में स्थित है जो किशनलाल आ. लाला कौम बैरवा के हिस्सा 1/6 खातेदारी की भूमि है। अपीलांट सं. 7 किशनलाल की बेवा तथा अपीलांट सं. 8 व 9 किशनलाल के पुत्र व पुत्री है। खातेदार किशनलाल के एक पुत्र लटूरलाल का देहान्त हो चुका है जिसके वारिस अपीलांट सं. 1 से 6 है। अपीलांटस खातेदार किशनलाल के खाते की भूमि पर काबिज काश्त है। खातेदार किशन की मृत्यु उपरांत फोती नामा.सं. 819 दिनांक 10.01.2020 को अपीलांट सं. 3 लगायत 9 एवं दुर्गाशंकर पुत्र स्व. लटूर तथा संताबाई पत्नी स्व. लटूर के नाम तहसीलदार बून्दी के द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकरण में खातेदार किशनलाल के मृतक पुत्र लटूरलाल के वारिसान में उसकी बेवा अपीलांट सं. 1 मोहनीबाई एवं पुत्र अपीलांट सं. 2 दीपक कुमार को शामिल ही नहीं किया गया, जबकि दुर्गाशंकर और संताबाई नामक कोई वारिस नहीं होते हुये भी उनके पक्ष में अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त फोती नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व उसके वारिसान की कोई जांच नहीं की गयी और न ही मजमेआम में पूछताछ की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत सजरा बनाया जाकर नामान्तरण तस्दीक कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया जिससे अपीलांटस अपना जवाब एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर सके। अपीलांट को सुनवाई के अवसर से वंचित कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अपीलांटस को अपीलाधीन नामान्तरण की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अभी हाल ही में दिनांक 15.09.2025 को अपीलांटस पटवार हल्का से कागजात प्राप्त करने के वास्ते मिले तो जानकारी हुई कि उक्त नामान्तरण में दुर्गाशंकर व संताबाई का नाम गलत शामिल कर लिये गये है। उसी दिन नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 16.09.2025 को नकल प्राप्त कर अपील जानकारी की तिथि से अवधि मध्य पेश की गयी है। न्यायहित में विलम्ब की अवधि को कन्डोन किए जाने के लिए अलग से दफा

जिला कलक्टर, बून्दी

5 भारतीय अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किया जाकर अपीलांटस के नाम फोती नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश पारित करने के लिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जा सकता है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 16.01.2020 की जानकारी दिनांक 15.09.2025 को होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम ख्यावदा की आराजी कृषि भूमि खसरा सं. 106 रकबा 0.7613 है., ख.सं. 487 रकबा 0.0308 है., ख.सं. 503 रकबा 1.3458 है. एवं ख.सं. 702 रकबा 1.1766 है. कुल किता 4 कुल रकबा 3.3145 हैक्टेयर का खातेदार किशनलाल पुत्र लाला बैरवा दर्ज रेकार्ड था। खातेदार किशनलाल के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्षमें विरासत का नामान्तरण सं.819 दिनांक 10.01.2020 तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट को आपत्ति है कि फोती नामान्तरकरण में बेवा मोहनीबाई एवं दीपककुमार के स्थान पर सन्ताबाई एवं दुर्गाशंकर का नाम दर्ज कर दिया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार किशनलाल के विधिक वारिसान की जांच किये बिना एवं उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना त्रुटिपूर्ण सजरे के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जाना अंकित करते हुये उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। अपने कथन के समर्थन में अपीलांटस द्वारा अपने आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई है। जहां तक अपीलाधीन नामान्तरकरण गलत सजरे के आधार पर तथा वारिसान की सुनवाई किये बिना तस्दीक किये जाने का प्रश्न है तो विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच की जाकर उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित है, इसके अभाव में अपीलाधीन नामान्तरण प्रथमदृष्टया विधिविरूद्ध प्रकट होता है।

अतः न्यायहित में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार रायथल को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर मृतक खातेदार किशनलाल पुत्र लाल जाति बैरवा के सभी विधिक वारिसान की जांच कर, उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर, नये सिरे से आदेश पारित कर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 08.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी

जिला कलक्टर, बून्दी